

प्रारूप-2परिशिष्ट

(देखिए नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण:-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-76/2017 विकास
खण्ड-हिन्दोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के
निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। संलग्न पृष्ठ संख्या.....
- ग) परियोजना की लागत। लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित
करने का औचित्य जनपद टिहर गढ़वाल के अन्तर्गत विकास
खण्ड-हिण्डोलाखाल में क्षेत्र की प्रतिभागों को मध्यनजर
रखते हुए मिनी स्टेडियम का निर्माण करना।
- ङ) लागत लाभ विश्लेषण
(संलग्न किये जाने के लिए) संलग्न पृष्ठ संख्या.....
- च) रोजगार जिनके पैदा होने
की सम्भावना है। मानव दिवस
2. कुल अपेक्षित भूमि की उद्देश्यवार
विवरण: आरक्षित वन भूमि 0.600 है0 में मिनी स्टेडियम का निर्माण
करना।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है
क) परिवारों की संख्या शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वनचनवद्धता संलग्न की जाये) प्रतिपूरक वृक्षारोपण लागू नहीं है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। पृष्ठ संख्या पर संलग्न विषय सूची के अनुसार सभी दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न है

दिनांक.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान.....


 जिला कल्याण एवं
 जिला सुरक्षा एवं
 प्राचीन संरक्षक दल अधिकारी
 जिला दिहरी गढ़वाल

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)


16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-76/2017 विकासखण्ड-हिण्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।			
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड			
(ii) जिला	टिहरी गढवाल			
(iii) वन प्रभाग	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग			
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग			
	आरक्षित वन भूमि (हे0)	सिविल सोयम (हे0)	वन पंचायत भूमि (हे0)	योग
	0.600	0.00	0.00	0.600
(v) वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि			
17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:	कोई नहीं			
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	संलग्न है			
(i) वन का प्रकार	मिश्रित वन			
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	0.40 MDF			
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	प्रस्तावित स्थल पर अवस्थित कुल वृक्षों एवं वास्तविक रूप से प्रभावित/बाधित होने वाले वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक-प्रपत्र 19 से प्रपत्र 22 पर चस्पा है।			
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	-			
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक (से0नि0) लोक निर्माण विभाग देहरादून की दो पृष्ठीय भू-गर्भीय आख्या प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-33 के साथ पर चस्पा है।			
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	लगभग 110 मीटर			
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	कोई नहीं			
(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	कोई नहीं			
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है)	नहीं			

तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	कोई नहीं
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-37 पर तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र चस्पा है।
23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	कोई नहीं
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-14 पर चस्पा है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	-
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम,	नहीं

पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	नहीं
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति।	लागू नहीं है।
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	लागू नहीं है।
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।	लागू नहीं है।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	लागू नहीं है।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	लागू नहीं है।
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	लागू नहीं है।
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाघात से सम्बन्धित नहत्वपूर्ण तथ्य प्रकाष में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	हाँ
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान :- मुनिकीरेती।

तारीख :- 13-08-2019

हस्ताक्षर
नाम 
शासकीय वनाधिकारी
मुनि-की-रेती

प्रारूप-3

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना / स्कीम का स्थान
- | | |
|--|---------------------------------|
| (1) राज्य / संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड |
| xiii) जिला | टिहरी गढ़वाल। |
| xiv) वन विभाग | टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी |
| xv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर) | 0.600 है० आरक्षित वन भूमि |
| xvi) वन की कानूनी स्थिति | वन विभाग के स्वामित्व की। |
| xvii) हरियाली का घनत्व | 0.2 |
| xviii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | सूचना संलग्न है। |
| xix) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार। |
| xx) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की अन्तर्गत, वन की सीमा से अनुमानित दूरी | लागू नहीं है। |
| xxi) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाए) | नहीं। |
| xxii) क्या क्षेत्र में वनस्यति और प्राणिजात का दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है, यदि हां/तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। | नहीं। |
| xxiii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं। |
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

न भूमि

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम

- | | | |
|--------|--|--|
| xiii) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डोंकी संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। | लागू नहीं है। |
| xiv) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | लागू नहीं है। |
| iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। | लागू नहीं है। |
| iv) | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। | लागू नहीं है। |
| v) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। | लागू नहीं है। |
| 11. | जिला वन संरक्षक की स्थल रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | संलग्न है। |
| 12. | प्रभाग/जिला प्रोफाइल | |
| xxii) | जिला का भौगोलिक क्षेत्र | है0 |
| xxiii) | जिला का वन क्षेत्र | है0 |
| xxiv) | मामलों की संख्या सहित 1980 से | मामले |
| xxv) | वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र | है0 |
| xxvi) | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकुल वनीकरण | |
| क) | दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि | है0 |
| ख) | वनेत्तर भूमि पर 2011-12 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति | रिक्त |
| क) | वन भूमि पर | है0 |
| ख) | वनेत्तर भूमि पर | रिक्त |
| 13. | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। | स्थानीय ग्रामीणों में खेल के प्रति उत्साह एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से आरक्षित वन भूमि लीज पर दिये जाने की संस्तुति की जाती है। |

दिनांक.....

स्थान:- नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारूप-4

भाग- IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि:

नाम और पदनाम

स्थान:

सरकारी मोहर

भाग- V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि:

नाम और पदनाम

स्थान:

सरकारी मोहर